न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0ः–18/2014 तारीख रजूः–28.03.2014

जी0सी0एम0एस0 नंबरः–2014/00129

पीठासीन अधिकारी :–दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

1. अब्दुल रऊफ पुत्र अब्दुल हफीज काजी निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. सलीमुद्दीन पुत्र इस्माईल काजी निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. मोहम्मद सगीर पुत्र इस्माईल काजी निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
4. मोहम्मद कदीर पुत्र इस्माईल काजी निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
5. अब्दुल सलाम पुत्र इस्माईल काजी निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
6. सलमा पुत्री इस्माईल काजी निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
7. अलहमदी बेवा इस्माईल काजी निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

उपस्थितः–

वकील प्रार्थीः– श्री अब्दुल वहाब, एडवोकेट

वकील अप्रार्थी संख्या 1ः– पैरोकार सरकार

वकील अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 :–श्री सुधीर कुमार जैन, एडवोकेट

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट</u>

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.14 10:56:42 IST
Reason: SelfAttested

[दिना]ंकः–09.05.2025

1. प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि–

❖ ग्राम चौथ का बरवाड़ा की साबिक आराजी खसरा नम्बर 1821 किस्म जमीन चरागाह जो कि बड़ा रकबा था में से विपक्षी नम्बर 2 लगायत 6 के पिता व विपक्षी नं 7 के पति इस्माईल तथा उसके भाई अहसानुद्धीन, अब्दुल अजीज, शरीफ ने इस आराजी में से गलत एवं निराधार तरीके से भिन्न–भिन्न तारीखो में 1000 वर्गगज व 500 वर्ग भूमि का नियमन करवा लिया और उक्त सरकारी भूमि में रोड निकल जाने से रोड के पूर्व दिशा की ओर बिना किसी वैध आदेश

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

के अहसानुद्धीन ने अपना पुख्ता मकान बना लिया तथा विपक्षी नम्बर 2 लगायत 6 के पिता व 7 के पति इस्माईल ने रोड के पश्चिम में चरागाह भूमि पर अतिकाम कर लिया जिनके विरूद्ध धारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही होने पर श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा ने दिनांक 28.11. 1992 को उक्त अतिकमियों को बेदखल करने एवं पेनल्टी आरोपित करने का निर्णय पारित किया।

- ❖ यह कि उक्त निर्णय के विरूद्ध अतिकमियों ने माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय सवाई माधोपुर के यहां अपील पेश की जो दिनांक 18.05.1993 को खारिज हो गई जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी साहब सवाई माधोपुर के यहां हुई जो भी दिनांक 16.12.1998 को खारिज हो गई और उक्त अतिकमियों ने उक्त निर्णय के विरूद्ध एक निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की जो निगरानी भी दिनांक 16.07.2003 कोखारिज हो चुकी है। इसलिए विपक्षी नम्बर 2 लगायत 9 का उक्त साबिक आराजी खसरा नम्बर 1821 से किसी प्रकार का कोई सम्बंध नहीं रहा है।

- ❖ इसी दरमियान सेटिलमेन्ट का कार्य आरम्भ हुआ तथा प्रथम जमाबंदी सम्वत 2057 अर्थात 2001 में जब नवीन रिकार्ड आया तब साबिक खसरा नम्बर 1821 के नये खसरा नम्बर 1165/5236 रकबा 0.07 है० गै०मु० बाड़ा बनाये जाकर गलत एवं निराधार तरीके से बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के चरागाह भूमि में विपक्षी नम्बर 2 लगायत के नाम खातेदारी दर्ज कर दी। जबकि न तो इतने रकबे की बाड़े के नाम खातेदारी हो सकती है और न ही किसी सक्षम अधिकार का कोई आदेश है इसलिए ऐसी खातेदारी स्वतः ही निरस्त होने योग्य है।

- ❖ विपक्षी नम्बर 2 लगायत 7 के नाम या उनके पिता/पति के नाम कोई नियमन आदेश अस्तित्व में ही नहीं है तो क्यों और किस आधार पर खातेदारी कायम रह सकती है और यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि कानूनन किसी भी व्यक्ति को चरागाह भूमि में कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। इसलिए विपक्षीगण 2 लगायत 7 के नाम खातेदारी समाप्त होने योग्य है।

- ❖ विपक्षीगण 2 लगायत 7 निहायत ही चालाक किस्म के व्यक्ति है जो अपने नाम खातेदारी भूमि होने का नाजायज फायदाउठाकर बिना किसी सक्षम अधिकारी के संपरिवर्तन कराये ही बेसकीमती चरागाह भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर निर्माण करने पर उतारू है जिसका कि उनको कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

- ❖ प्रार्थी के मकान व बद्री लुहरिया के मकान के पूर्वी दिशा की ओर 16 फिट चौड़ा आम रास्ता है और उसके पश्चात विपक्षी नम्बर 2 लगायत 7 का उक्त चरागाह भूमि पर अतिक्रमण है लेकिन विपक्षी नम्बर 2 लगायत 7 ने चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करते हुए 16 फिट [illegible] दिनांक 26.03. 2014 को बिना किसी संपरिवर्तन आदेश के निर्माण करने लगे तो प्रार्थी ने उनको ऐसा करने से मना किया लेकिन विपक्षीगण नहीं माने तथा अपने नाम खातेदारी होने की बात कही तब पता चला कि विपक्षीगण 2 लगायत 7 ने सेटिलमेन्ट विभाग वालो से मिलकर गलत एवं निराधार तरीके से बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के चरागाह भूमि में अपने नाम खातेदारी करवा ली इसलिए अब प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वो विपक्षी नम्बर 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.14 10:56:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

लगायत 7 के नाम हुई खातेदारी को हजफ करवाकर चरागाह दर्ज करवाये तथा अवैधानिक रूप से करवाये जा रहे निर्माण कार्य को रूकवाये।

- माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 16/07/2003 के अनुसार जब विपक्षी नम्बर 2 लगायत 7 का उक्त भूमि से कोई ताल्लुक या वास्ता ही नहीं रहा है तो उनके नामखातेदारी समाप्त होना न्यायहित में आवश्यक है तथा उक्त निर्णय की कियान्विति होना आवश्यक है।

- उक्त साबिक खसरा नम्बर 1821 चरागाह में अतिकमी अहसानुद्धीन का मकान बन चुका है तथा विपक्षीगण उसी की आड में उक्त रकबे पर अतिकमी है तथा अतिक्रमण की आड में प्रार्थी के पूर्वी ओर 16 फिट रास्ते को बन्द करना चाह रहे और उस रास्ते को खुलासा करवाने हेतू भी दिनांक 02.04.2014 को प्रशासनिक अधिकारी आने वाले है लेकिन उसके पूर्व ही विपक्षीगण जबरदस्ती निर्माण कर मौके के स्वरूप को बदलने पर उतारू है इसलिए उनको जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वो चरागाह भूमि पर कोई निर्माण नहीं करे।

- अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि साबिक खसरा नंबर 1821 किस्म जमीन चरागाह वाके ग्राम चौथ का बरवाड़ा के बने नवीन खसरा नंबर 1165/5236 रकबा 0.07 है0 से विपक्षी संख्या 2 लगायत 7 के नाम गलत व निराधार तरीके से हुई खातेदारी को समाप्त करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी होकर उनकी न्यायालय में तलवी की गई।

3. यह है कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 ने अपना जवाब इस प्रकार पेश किया है कि–

- आराजी खसरा नंबर पुराने 1821, जिसके नये खसरा नंबर 1165/5235 रकबा 0.04 ऐयर (500 वर्गगज) अहसानुद्दीन के नियमन होकर खातेदारी में आई है, व खसरा नंबर 1821/3043 रकबा 6 बिस्वा (1000 वर्गगज) नये खसरा नंबर 1165/5236 का नियमन अहसानुद्दीन, इस्माईल, अब्दुल अजीज, मोहम्मद सरीफ पिसरान मसीतुल्ला के नाम होकर खातेदारी में आई है, जिस पर बाड़ा बना हुआ है। उक्त भूमि चारागाह न होकर खातेदारी भूमि है। एक हजार वर्गगज व पांच सौ वर्गगज भूमि अलग–अलग खसरा नंबरों में है, जिनके बीच में होकर आम रास्ता निकला हुआ है।

- आराजी खसरा नंबर 1821 में से जो भूमि 1000 वर्गगज एवं 500 वर्गगज भूमि नियमन की गई उस भूमि पर ... की कार्यवाही नहीं हुई है, वह केवल 228 वर्गगज पर हुई, जो अलग भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.14 10:56:42 IST
Reason: SelfAttested

- प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध ... तथ्यों पर पेश किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

- प्रार्थी स्वयं अतिकमी है, जिसने स्वयं ने अतिकमण कर रखा है, जिसके विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही हो रही है, व चारागाह भूमि पर प्रार्थी ने मकान बनाकर कब्जा कर रखा है। उससे बचने के लिये यह झूठी कार्यवाही की है।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

- ❖ अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किये जाने की कृपा करें।

4. यह है कि प्रकरण में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2022/3414 दिनांक 13.12.2022 द्वारा अपनी रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाई है कि–

- ❖ साबिक खसरा नम्बर 1821/3043 किस्म गै.मु. चरागाह में से अहसानुद्दीन, ईस्माईल, अब्दुल अजीज, मोहम्मद शरीफ के नाम नामा० संख्या 1523 दिनांक 21.01.1983 से 1/9 बिस्वा यानि 1000 वर्गगज बाडा नियमन हुआ। तथा इस कार्यालय द्वारा दिनांक 28.03.1985 को साबिक खसरा नम्बर 1821 में से 500 वर्गगज का नियमन अहसान पुत्र मसीतुल्ला जाति काजी के नाम हुआ। इस प्रकार दो बार में 1000 एवं 500 वर्गगज का नियमन किया गया। अति० तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दिनांक 28.11.1992 को विपक्षीगणों को 1500 वर्गगज के अतिरिक्त 228 वर्गगज भूमि पर अतिक्रमण से बेदखल किया गया था। साबिक खसरा नम्बर 1821/3043 के हाल खसरा नम्बर 1165/5236 एवं 1821 के हाल खसरा नम्बर 1165/5235 पर विपक्षीगणों का कब्जा है, इसके अलावा अन्य राजकीय भूमि पर विपक्षीगणों का कब्जा नहीं है।

- ❖ वादीगणों द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में भी अति० तहसीलदार चोथ का बरवाडा के निर्णय के विरूद्ध अपील दायर की थी जो खारिज कर दी गयी। किन्तु 1500 वर्गगज भूमि विपक्षीगणों को नियमन हुई थी, बदस्तूर रही।

- ❖ साबिक खसरा नम्बर 1821/3043 में से 1/9 बिस्वा भूमि नामा० संख्या 1523 द्वारा बाडा आवंटन किया था जिसके हाल खसरा नम्बर 1165/5236 रकबा 0.07 है0 बने हैं। सेटलमेंट में या उसके बाद विपक्षीगणों को कोई आवंटन नहीं हुआ है।

- ❖ विपक्षीगणों के पिता के नाम बाड़ा नियमन किया गया, उक्त भूमि चारागाह थी। विभिन्न न्यायालयों में वाद उपरान्त विपक्षीगणों को 1500 वर्गगज से कभी भी बेदखल नहीं किया गया है। साबिक खसरा नंबर 1165/5236 रकबा 0.07 है0 बने हैं, जिस पर आज भी विपक्षीगणों का कब्जा है। इसके अतिरिक्त अन्य भूमि पर अनाधिकृत कब्जा नहीं है।

- ❖ विपक्षीगण द्वारा जबरदस्ती किसी भी भूमि पर निर्माण कार्य नहीं करवाया है, एवं अपनी नियमनशुदा भूमि पर ही कब्जा है।

- ❖ बदरी लुहारिया के मकान के में पूर्वी दिशा में कोई रास्ता नहीं है, 3 फीट की गली है। विपक्षीगणों द्वारा कोई रास्ता अवरुद्ध नहीं किया गया है। पूर्व की भांति अब भी 3 फिट की गली मौके पर मौजूद है। प्रार्थी का स्वयं का मकान चारागाह में बना है, जिसका रास्ता पूर्व दिशा में न होकर पश्चिम दिशा में है, जिसका उपयोग प्रार्थी द्वारा किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.14 10:56:42 IST
Reason: SelfAttested

- ❖ माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 16.07.2003 के द्वारा विपक्षीगणों को नियमनशुदा बाड़ा से बेदखल नहीं किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

❖ अहसानुद्दीन ने खसरा नंबर 1165/5235 गै0मु0 बाड़ा रकबा 0.07 है0 पर मकान बनाया है, जो अहसानुद्दीन पुत्र मसीतुल्ला की खातेदारी भूमि है। विपक्षीगणों द्वारा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है।

5. मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी, जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का दोहरान किया। वकील अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 द्वारा यह भी बताया कि विधिवत नामान्तरकरण से राजस्व रिकॉर्ड में हुए इन्द्राज को धारा 136 के तहत लिपिकीय त्रुटि/स्वीकृत त्रुटि मानते हुए परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

6. मैंने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. प्रार्थी द्वारा वर्तमान खसरा नंबर 1165/5236 रकबा 0.07 है0 किस्म गै0मु0 चारागाह बाड़े की खातेदारी समाप्त करते हुए चारागाह भूमि दर्ज करने बाबत् रिकॉर्ड में शुद्धि इस आधार पर चाही गई है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट साबिक खसरा नंबर 1821 में से नवीन खसरा नंबर 1165/5236 बनाते हुए गलत एवं निराधार तरीके से एवं बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 के नाम दर्ज कर दी। प्रार्थी वकील ने यह भी तर्क दिया है कि चारागाह भूमि में से किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 के अनुसार खसरा नंबर 1821/3043 में से 1000 वर्गगज भूमि का नियमन अहसानुद्दीन, इस्माईल, अब्दुल अजीज एवं मोहम्मद शरीफ के नाम से हुआ था एवं तब से यह भूमि इनकी खातेदारी भूमि है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार भी साबिम खसरा नंबर 1821/3043 किस्म गै0मु0 चारागाह में से अहसानुद्दीन, इस्माईल, अब्दुल अजीज एवं मोहम्मद शरीफ के नाम नामान्तरकरण संख्या 1523 दिनांक 21.01.1983 में से 1/9 बिस्वा यानि 1000 वर्गगज बाड़ा नियमन हुआ था।

8. प्रार्थी द्वारा दौराने सेटलमेंट सेटलमेंट विभाग द्वारा त्रुटिवश अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 की खातेदारी में खसरा नंबर 1165/1165/5236 दर्ज करना बताया है, परन्तु इसकी पुष्टि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से नहीं होती है। साथ ही तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार भी सेटलमेंट में या उसके बाद अप्रार्थीगणों को कोई आवंटन नहीं हुआ है।

9. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगणों को नियमित की गई भूमि पर से विभिन्न न्यायालयों में वाद उपरान्त भी बेदखल नहीं किया गया है, एवं इनका नियमनशुदा भूमि के अतिरिक्त भूमियों पर अनाधिकृत अतिक्रमण भी नहीं है।

10. मेरी विनम्र राय में खसरा नंबर 1821/3043 किस्म गै0मु0 चारागाह में से 1000 वर्गगज भूमि, जिसके हाल खसरा नंबर 1165/1136 है, उसके वर्तमान रिकॉर्ड को लिपिकीय त्रुटी अथवा सेटलमेंट विभाग [illegible] माना जा सकता, जिसे धारा 136 एल0 आर0 एक्ट के तहत परिवर्तित कि[illegible] जा [illegible]के।

11. यदि चारागाह भूमि में से विवादित भू[illegible] गया है तो प्रार्थी द्वारा नियमन आदेश के विरूद्ध सक्षम अपीलीय अधिकारी/न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है, परन्तु धारा 136 एल0 आर[illegible] एक्ट के तहत उक्त नियमन/नामान्तरकरण को लिपिकीय त्रुटी अथवा हितबद्ध पक्षों द्वारा स्वीकृत त्रुटि मानते हुए निरस्त किया जाना उचित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.14 10:56:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
...थ का बरवाड़ा (स0 मा0)

12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

–:आदेश:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 09.05.2025 को खुले न्यायालयं में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.14 10:56:42 IST
Reason: SelfAttested